



"संदेश"

मंत्रालय द्वारा 15 सितम्बर, 2016 से 29 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। देश में हिन्दी को बोलने और समझने वाले लोगों की बहुलता को ध्यान में रखकर, संविधान सभा में 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भारत जैसे बहु-भाषी देश में एकता एवं अखण्डता का सूत्रपात किया जा सकता है। ऐसी 'विविधता में एकता' विश्व के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती है।

समय की मांग है कि राजभाषा हिन्दी को सरकारी काम काज में उसका उचित स्थान दिया जाए। हमें हिन्दी का प्रयोग करने में गर्व महसूस करना चाहिए जैसाकि विश्व के सभी देशों में अपनी भाषा के प्रति प्यार व सम्मान देखा जाता है। मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग काफी उत्साहवर्धक देखा गया है। मंत्रालय में हिन्दी में कार्य की प्रगति राजभाषा नीति के अनुरूप होनी चाहिए। हमें इसके प्रयोग में और अधिक सहज महसूस करना चाहिए तभी हम सरकार की राजभाषा नीति का वास्तव में अनुपालन करने में सक्षम होंगे। मंत्रालय की वेबसाइट को लगातार हिंदी में भी तैयार करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए/उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

हम सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमें सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा तथा यथासंभव हिन्दुस्तानी (देशज शब्दों) का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी के पर्याय न मिलने पर अंग्रेज़ी के शब्दों को ज्यों-का-त्यों रोमन लिपि में लिखने को स्वीकार किया गया है। हमें केवल दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी है जिससे हम इस दिशा में और अधिक सफल होंगे।

मैं, हिन्दी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सभी हिन्दी पखवाड़े को मात्र औपचारिक परम्परा के रूप में न लेकर, एक नीतिगत सहज कार्यक्रम के रूप में लें तथा इस अवधि में और इसके पश्चात भी अधिक से अधिक अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करें तथा हिन्दी पत्राचार को लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास करें।

जय हिन्द ।

6 सितम्बर, 2016

 अ. क. श्री.
 (अविनाश कु. श्रीवास्तव)